संस्थान के सामुदायिक केन्द्र में बाहरी कंपनियों यथा आटोमोबाईल कंपनियॉ, रियल स्टेट, दैनिक उपभोग की कंपनियों आदि द्वारा कैनोपी/प्रदर्शनी/स्टाल इत्यादि लगाये जाने हेतु स्थान, निर्धारित शुल्क, नियम व शर्ते एवं प्रकिया

(अ) सामुदायिक केन्द्र पर कैनोपी/प्रदर्शनी/स्टाल लगाये जाने के स्थल का चिन्हांकन/निर्धारण

संस्थान के सामुदायिक केन्द्र स्थित खूला चबूतरा । जब तक उपरोक्त खुला चबूतरा का सिविल/विद्युत अनुरक्षण कार्य तैयार नहीं होता है तब तक सामुदायिक केन्द्र के मुख्य द्वार के पास सड़क पर अधिकतम 10×10 फिट स्थान उपरोक्त हेतु प्रयोग किया जायेगा ।

(ब) नियम व शर्ते –

1. संस्थान के भवनों की दीवारों एवं अन्य स्थानों पर किसी प्रकार का बैनर/पोस्टर चिपकाना वर्जित होगा ।
2. सामुदायिक केन्द्र में संस्थान द्वारा तय किये गये निर्धारित स्थल पर ही कैनोपी (canopy)/प्रदर्शनी/स्टाल लगाया जायेगा ।
3. संस्थान परिसर की सड़कों/पार्को इत्यादि पर ड्राईविंग टेस्ट वर्जित होगा ।
4. किसी भी प्रकार की क्षति अथवा गंदगी साफ न किये जाने की दशा में जमा किया गया अग्रिम जब्त कर लिया जायेगा ।
5. सामुदायिक केन्द्र के कैनोपी (canopy)/प्रदर्शनी/स्टाल स्थल को स्वच्छ एवं साफ रखने की जिम्मेदारी आवेदक की होगा ।
6. सम्पत्ति विभाग के कार्यालय से अनुमति पत्र प्राप्त करने से पूर्व आवेदक द्वारा निर्धारित अग्रिम की राशि एवं पूर्ण अवधि का शुल्क वित्त विभाग में जमा रसीद की छाया प्रति सम्पत्ति विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा ।
7. विद्युत के उपभोग हेतु निर्धरित कनेक्शन से ही किया जायेगा एवं उसकी सीमा एक किलोवॉट (1 KW) से अधिक नहीं होगी।

(स) प्रतिदिन शुल्क तथा विद्युत शुल्क –

1. आवेदक प्रतिदिन निर्धारित स्थान का शुल्क रू0 2000.00 (दो हजार रूपये मात्र) माह अप्रैल, 2016 से निर्धारित होगा । जो कि प्रति वर्ष पूर्व शुल्क पर 10 प्रतिशत की बढोत्तरी के साथ शुल्क बढ़ाया जायेगा ।
2. आवेदक द्वारा संस्थान की विद्युत का उपयोग करना चाहता है तो इस हेतु निर्धारित विद्युत प्वाइंट से स्वयं वायरिंग कर के उपयोग करेगा ।
3. आवेदक द्वारा अग्रिम के रूप में निर्धारित अग्रिम जमा (प्रतिदिन किराये का पॉच गुना) किया जाना होगा जो कि संस्थान के अधिकृत अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा अनापत्ति प्रमाण–पत्र (संस्थान की सम्पत्ति को किसी प्रकार की क्षति, किसी भी प्रकार की गंदगी तथा असंतोषजनक सेवा न पाये जाने) दिये जाने के उपरान्त उक्त अग्रिम के रूप में जमा धनराशि वापस की जायेगी ।
4. उपरोक्तानुसार अनुमति पत्र, डिमाण्ड नोट, नियम व शर्ते/घोषणा प्रपत्र एवं सुरक्षा धनराशि को अवमुक्त हेतु प्रपत्र का प्रारूप संलग्न है ।

Phone No. (0522) 2494027/2494288
Fax (0522) 2668017, 2668078, 2668129
संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ
SANJAY GANDHI POST GRADUATE INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES,
RAEBARELI ROAD, LUCKNOW

पत्रांक संख्या :पी0जी0आई0/सम्पत्ति/एस– / /16 दिनांक :

सामुदायिक केन्द्र स्थल पर कैनोपी (canopy)/प्रदर्शनी/स्टाल लगाने हेतु अनुमति पत्र एंव नियम व शर्ते

1.	आवेदक का नाम	
2.	प्रार्थना पत्र की तिथि	
3.	कैनोपी/प्रदर्शनी/स्टाल लगाये जाने की अवधि/तिथि	
4.	सामान/सेवा की कैनोपी/प्रदर्शनी/स्टाल का प्रकार	
5	बैंक का नाम एवं खाता सं0	
6.	जमा की गई अग्रिम धनराशि (वापसी योग्य)	रू0 शब्दों में (मात्र)
7.	कैनोपी(canopy)/प्रदर्शनी/स्टाल लगाये जाने की अवधि में जमा किराया	रू0 _____ × _____ = रू0 _________ (प्रतिदिन) (दिन)
8.	**जमा करायी जाने वाली कुल धनराशि की रसीद सं0 तथा तिथिं**	रसीद सं0 दिनांक रू0 शब्दों में (मात्र)
8.	नियम व शर्ते पर सहमति पत्र	संलग्न

सम्पत्ति अधिकारी

प्रतिलिपि :

1. अध्यक्ष, सुरक्षा समिति

सम्पत्ति अधिकारी

Phone No. (0522) 2494027/2494288
Fax (0522) 2668017, 2668078, 2668129

संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ
SANJAY GANDHI POST GRADUATE INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES,
RAEBARELI ROAD, LUCKNOW

पत्रांक संख्या :पी0जी0आई0/सम्पत्ति/एस– / /16 दिनांक :

सामुदायिक केन्द्र स्थल पर कैनोपी (canopy)/प्रदर्शनी/स्टाल लगाने हेतु नियम व शर्ते

1. आवेदक द्वारा किसी उत्पाद/सर्विस के प्रचार–प्रसार/फ्री सर्विस कैम्प/विकय/ऋण के लिये प्रतिदिन निर्धारित स्थान का शुल्क रू0 2000.00 (दो हजार रूप्ये मात्र) माह अप्रैल, 2016 से निर्धारित होगा । जो कि प्रति वर्ष पूर्व शुल्क पर 10 प्रतिशत की बढोत्तरी के साथ शुल्क बढ़ाया जायेगा ।
2. आवेदक द्वारा इलेक्ट्रानिक/विद्युत सामग्री के लिये संस्थान की विद्युत का उपयोग करना चाहता है तो वह विद्युत शुल्क मीटर रीडिंग के माध्यम से अथवा प्रतिदिन के आधार पर निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त देना होगा ।
3. आवेदक द्वारा किसी उत्पाद/सर्विस के प्रचार–प्रसार/फ्री सर्विस कैम्प/विकय/ऋण के लिये संस्थान में नियमानुसार/निर्धारित अग्रिम जमा किया जाना होगा जो कि संस्थान के अधिकृत अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा अनापत्ति प्रमाण–पत्र(संस्थान की सम्पत्ति को किसी प्रकार की क्षति, किसी भी प्रकार की गंदगी तथा असंतोषजनक सेवा न पाये जाने) दिये जाने के उपरान्त उक्त अग्रिम के रूप में जमा धनराशि वापस की जायेगी ।
4. संस्थान के भवनों की दिवारों एवं अन्य स्थानों पर किसी प्रकार का बैनर/पोस्टर चिपकाना वर्जित होगा ।
5. सामुदायिक केन्द्र में संस्थान द्वारा तय किये गये निर्धारित स्थल पर ही कैनोपी/प्रदर्शनी/स्टाल लगाया जायेगा ।
6. संस्थान परिसर की सड़कों/पार्को इत्यादि पर ड्राईविंग टेस्ट वर्जित होगा ।
7. किसी भी प्रकार की क्षति अथवा गदंगी साफ न किये जाने की दशा में जमा जमा किया गया अग्रिम जब्त कर लिया जायेगा ।
8. सामुदायिक केन्द्र के कैनोपी/प्रदर्शनी/स्टाल स्थल को स्वच्छ एवं साफ रखने की जिम्मेदारी आवेदक की होगी ।
9. सम्पत्ति विभाग के कार्यालय से अनुमति पत्र प्राप्त करने से पूर्व निर्धारित शुल्क को वित्त विभाग में जमा की गई धनराशि की रसीद की छाया प्रति सम्पत्ति विभाग को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा ।

मैं...

.....................................फर्म/दुकान/प्रतिष्ठान यह घोषित करता हूॅ कि उपरोक्त नियम व शर्तो को भली–भॉति पढ लिया है । जिसका पालन मैं करूॅगा । कोई भी असंवैधानिक कार्य यदि मेरे द्वारा किया जाता है तो मेरे/मेरी फर्म/दुकान/प्रतिष्ठान के विरूद्ध कार्यवाही कर लिया जाये ।

हस्ताक्षर

(फर्म/दुकान/प्रतिष्ठान)

Phone No. (0522) 2494027/2494288
Fax (0522) 2668017, 2668078, 2668129
संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ
SANJAY GANDHI POST GRADUATE INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES,
RAEBARELI ROAD, LUCKNOW

पत्रांक संख्या :पी0जी0आई0/सम्पत्ति/एस–   /   /16   दिनांक :

सामुदायिक केन्द्र स्थल पर कैनोपी (canopy)/प्रदर्शनी/स्टाल लगाने हेतु वित्त विभाग को भुगतान लेने हेतु डिमाण्ड नोट

1.	आवेदक का नाम	
2.	प्रार्थना पत्र की तिथि	
3.	कैनोपी/प्रदर्शनी/स्टाल लगाये जाने की अवधि/तिथि	
4.	सामान/सेवा की कैनोपी/प्रदर्शनी/स्टाल का प्रकार	
5	बैंक का नाम एवं खाता सं0	
6.	जमा की जाने वाली अग्रिम धनराशि (वापसी योग्य)	रू0
		शब्दों में (मात्र)
7.	कैनोपी(canopy)/प्रदर्शनी/स्टाल लगाये जाने की अवधि में देय किराया	रू0 ____ × ____ = रू0 ________ (प्रतिदिन) (दिन)
8.	**जमा करायी जाने वाली कुल धनराशि**	रू0
		शब्दों में (मात्र)
		सम्पत्ति अधिकारी

प्रतिलिपि :

1.	वित्त अधिकारी
	सम्पत्ति अधिकारी

9/7

Phone No. (0522) 2494027/2494288
Fax (0522) 2668017, 2668078, 2668129
संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ
SANJAY GANDHI POST GRADUATE INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES,
RAEBARELI ROAD, LUCKNOW

पत्र सं0 पीजीआई/सम्पत्ति/एस– / /16 दिनांक :

के तहत सामुदायिक केन्द्र स्थल पर कैनोपी (canopy)/ प्रदर्शनी/स्टाल लगाने हेतु जमा किये जाने हेतु अग्रिम की वापसी हेतु प्रार्थना पत्र का प्रारूप

1.	अग्रिम जमा की गई धनराशि का विवरण	धनराशि रू0
		रसीद सं0
		दिनांक
2.	सुरक्षा अधिकारी/अध्यक्ष, सुरक्षा समिति अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण–पत्र	
	अनापत्ति/टिप्पणी/वसूली की राशि (यदि कोई है तो)	नाम पद नाम हस्ताक्षर सहित

वित्त अधिकारी,

कृप्या अनुमति पत्र सं0 पत्र सं0 पीजीआई/सम्पत्ति/एस– / / /16 दिनांक : के बिन्दु सं0 एवं अनापत्ति प्रमाण के अनुसार संस्थान कोष में फर्म/दुकान/प्रतिष्ठान द्वारा अग्रिम के रूप में जमा की गई धनराशि रू0 ....फर्म/दुकान/प्रतिष्ठान द्वारा उपलब्ध कराये गये खाता सं0..में हस्तानान्तरण/वापस करते हुये सम्पत्ति विभाग को सूचित करने की कृपा करें।

सम्पत्ति अधिकारी